न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 64/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

दायरा दिनांकः 1.6.2017

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

(1) मदनलाल आत्मज मनफूल जाति लुहार निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...अपीलाट

बनाम

1 सत्येन्द्र सिंह उर्फ बबलू आत्मज जसवन्त सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसील किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

(2) **प्रकरण संख्याः 80/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा**

उनवान

मदनलाल आत्मज मनफूल जाति लुहार निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...अपीलाट

बनाम

1 सत्येन्द्र सिंह उर्फ बबलू आत्मज जसवन्त सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसील किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलाट
श्री प्रवीण पनवाड अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

निर्णय

दिनांक 1.8.2018

अपीलार्थी मदनलाल ने न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा अपील सं0 8/13 एवं 11/13 बउनवान सत्येन्द्र सिंह बनाम मदनलाल वगेरा में पारित निर्णय 2.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित दोनो अपीलों को एक ही निर्णय दिनांक 2.5.2017 से निर्णित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी मदनलाल द्वारा इस न्यायालय मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत अपील सं0 8/13 एवं 11/13 प्रस्तुत की गई। उक्त दोनो अपीलों मे पक्षकार एवं विषयवस्तु समान होने से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि सत्येन्द्रसिंह रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 5/11 मे पारित निर्णय निर्णय दिनांक 31.5.2013 एवं उसकी पालना मे तस्दीक किया गया इन्तकाल नं0 487 दिनांक 28.6.2013 ग्राम दुर्जनपुरा से प्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील इस आशय की पेश की गई कि पूर्व मृतक खातेदार रामनाथ उसके खाते की भूमि वाके ग्राम दुर्जनपुरा तह0 किशनगंज ख0 नं0 92/2 रकबा 11 बीघा ख0 नं0 127 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा ख0 नं0 116 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा का रजिस्टर्ड वसीयत नामा उसके पक्ष मे कर उक्त भूमि देकर गया है। परीक्षण न्यायालय ने बिना उसको सुने व जांच पडताल किये एक फर्जी एंव बनावटी, तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 15.5.2008 के आधार पर मदनलाल के पक्ष मे दिनांक 31.5.13 को निर्णय पारित कर निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण सं0 487 तस्दीक कर दिया जिसे निरस्त कर भूमि ख0 नं0 94/2 की 1 बीघा, ख0 नं0 127 की 6 बीघा 14 बिस्वा, ख0 नं0 116 की 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दुर्जनपुरा का इंतकाल मृतक खातेदार रामनाथ द्वारा उसके पक्ष मे की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.12.05 के आधार पर उसके पक्ष मे खोलकर तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सत्येन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 2.5.2017 से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.5.2013 एवं उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 28.6.2013 ग्राम दुर्जनपुरा निरस्त कर तहसीलदार किशनगंज को दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता के संबध मे विस्तृत जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट मदनलाल द्वारा द्वितीय अपील धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही कर अवधि बाधित अपील को स्वीकार कर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि मृतक रामनाथ अपीलांट के सगे काका जी है जो मृत्यु पूर्व अपीलांट के पास ही रहते थे तथा अपीलांट व उसके परिवार ने ही उनकी सेवा सुश्रषा की है जिससे प्रसन्न होकर उनके द्वारा दिनांक 15.5.08 को अपीलांट के पक्ष मे अपनी आराजी की वसीयत आलेखित की है जो उनकी अंतिम वसीयत होने से अपीलांट एक मात्र रामनाथ जी का नेसर्गिक उत्तराधिकारी व वसीयती उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। मृतक रामनाथ द्वारा अपने जीवनकाल मे ही ख0 नं0 94/2 रकबा 15 बीघा मे से 10 बीघा आराजी बलजीत कौर को बेचान करदी जो इन्तकाल नम्बर 381 से उसके नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई शेष 5 बीघा आराजी मे से 4 बीघा जिस दिन अपीलांट के पक्ष मे वसीयत आलेखित की उसी दिन मंदिर हनुमान जी दुर्जनपुरा को दान कर दी जो मंदिर हनुमान जी के नाम दर्ज हो गई। ख0 नं0 116 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा मे से 4 बीघा सजना बाई पत्नी धीरण लोधी को दिनांक 9.1.08 को बेचान कर दी जो इंतकाल नम्बर 380 दिनांक 6.4.08 से सजनाबाई के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई शेष आराजी अपीलांट के पक्ष मे वसीयत होने से वसीयत के आधार पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड कर दिया गया तभी से अपीलांट उक्त आराजी का बहैसियत खातेदार काबिज काशत चला आ रहा है। रेस्पो0 का उक्त सम्पत्ति से कभी कोई वास्ता नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही दिया कि तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 को सुनवाई कर दिनांक 31.5.13 को आदेश प्रदान किया किया गया है। आदेश कन्टेस्टेड होने से अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है उक्त आदेश अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की श्रेणी मे होने से प्रथम अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे एवं अपीलांट के पक्ष मे पारित आदेश एवं इंतकाल को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मृतक रामनाथ अपीलांट के काका थे इस कारण अपीलांट द्वितीय केटेगरी का उत्तराधिकारी है। मृतक रामनाथ जी द्वारा अपीलग्रस्त आराजी की दिनांक 15.5.08 को वसीयत की गई। रामनाथ जी का स्वर्गवास दिनांक 2.5.2011 को हुवा। रेस्पो0 के पक्ष मे दिनांक 29.12.05 की वसीयत है। परीक्षण न्यायालय द्वारा दोनो वसीयतो की जांच कर दिनांक 31.5.11 को निर्णय पारित किया जिसकी पालना मे नामान्तरकरण 487 मेरे पक्ष मे तस्दीक किया गया। उक्त आदेश एवं नामा0 के विरूद्व रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे आगे बताया कि अपीलांट मृतक खातेदार रामनाथ का द्वितीय केटेगरी का वारिस/उत्तराधिकारी है वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता। रेस्पो0 को रेगूलर वाद पेश कर अधिकार तय कराना चाहिये। रेस्पो0 मेरी जाति का नही है प्रभावशाली आसामी है। अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व वाद जेरकार है मे स्थगन जारी किया हुआ है तथा सिविल कोर्ट मे भी वसीयत के संबध मे रेगूलर दावा हो गया जो जेरकार है ऐसी स्थिति दावे मे निर्णय होगा अतः दावे के निर्णय तक अपीलग्रस्त आराजी को विवादित दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि मृतक खातेदार रामनाथ मेरे दादा के साथ रहता था। दो वसीयत का विवाद है। दिनांक 15.5.08 की वसीयत नोटरी से प्रमाणित है जो अपीलांट के नाम है दुसरी वसीयत 29.12.05 रजिस्टर्ड वसीयत है जिस पर वसीयत कर्ता के हस्ताक्षर एवं फोटो है जो रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष की है। वसीयत केन्सीलेशन का दावा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता के संबध मे जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया है जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण मे दिनांक 27.6.2008 को प्रार्थना पत्र बावत दस्तावेज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज व सिविल न्यायाधीश किशनगंज मे जेरकार वाद की प्रति रिकार्ड पर लेने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उक्त दस्तावेज प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है। कि पक्षकारान के मध्य वाद बावत अवैध, अमान्य व शून्य घोषित किये जाने वसीयतनामा दिनांक 15.5.2008 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी का माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज के न्यायालय मे एवं प्रार्थना पत्र 212 आरटीए व आदेशिका दिनांक 2.5.11से दि0 7.10.11 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज पेश की गई। उक्त दस्तावेजात से प्रकट होता है कि वसीयत केन्सीलेशन का वाद एवं दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 आरटीए का क्रमशः न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 किशनगंज एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के न्यायालय मे जेरकार है जिसमे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 2.5.2017 द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.5.2013 एवं उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 28.6.2013 ग्राम दुर्जनपुरा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता के संबध मे विस्तृत जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो उक्त विवेचित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे

न्यायोचित होने से जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही पाते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दौनो अपीले अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 1.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा